

हरियाणा ने अनुसूचति जात उप-वर्गीकरण को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

हरियाणा मंत्रपरिषद ने [अनुसूचति जातियों \(SC\) का उपवर्गीकरण](#) करने के लिये राज्य अनुसूचति जात आयोग की सफारशियों को स्वीकार कर लिया।

प्रमुख बडि:

- **उद्देश्य:** उप-वर्गीकरण का उद्देश्य वभिन्न अनुसूचति जात समुदायों की वशिषिट आवश्यकताओं को मान्यता देकर, वशिष रूप से शैक्षिक और रोजगार क्षेत्रों में, **लाभों और अवसरों का अधिक न्यायसंगत वतिरण** सुनिश्चति करना है।
- **पैनल की सफारशि:** आयोग ने अनुसूचति जात समुदाय के अधिक वंचति वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व और सहायता प्रदान करने के लिये अनुसूचति जातियों की एक नई श्रेणी बनाने का सुझाव दिया।
 - आयोग ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के उद्देश्य से दो श्रेणियों में उपवर्गीकरण करने की सफारशि की:
 - **वंचति अनुसूचति जातियों (DSC)**, जिसमें बाल्मीकि, धानक, मज़हबी सखि, खटीक, जैसी **36 जातियाँ** शामिल हैं।
 - **अन्य अनुसूचति जातियाँ (OSC)**, जिनमें चमार, जटिया चमार, रेहगर, रैगर, रामदासी, रवदासी, जाटव, मोची, रामदासिया जैसी जातियाँ शामिल हैं।
- **कार्यानवयन:** राज्य सरकार नई श्रेणियों को प्रतिबिबिति करने और लक्षति समर्थन सुनिश्चति करने के लिये मौजूदा नीतियों और योजनाओं में संशोधन के माध्यम से इस उप-वर्गीकरण को लागू करने की योजना बना रही है।
- **संभावति प्रभाव:** यह कदम वभिन्न अनुसूचति जात समूहों की वशिषिट आवश्यकताओं को संबोधति कर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति के बेहतरीकरण के लिये सकारात्मक नीतगित सुधार के रूप में कार्य करेगा।